

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखंड III में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर, 1978

अधिसूचना

॥ आयकर ॥

का०आ० ॥अ॥ आयकर अधिनियम, 1961 ॥ 1961 का 43॥ की धारा 54 ड०ख की उपधारा ॥1॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र में दिनांक 5 जनवरी, 1978 को प्रकाशित दिनांक 5 जनवरी, 1978 की अधिसूचना का०आ० 6॥अ॥ को अधिसूचना करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक कम्पनी मैसर्स कोशिका टेलीकॉम लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय उषा हाउस, बी-11/100, मोहन को-आप. इन्डल. एस्टेट, दिल्ली- मधुरा रोड, बंदरपुर, नई दिल्ली-110044 में है, द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले क्रमशः एक सौ दो करोड़ 20 लाख रुपये और एक सौ बीस करोड़ रुपये से अनधिक धनराशि के पूर्णतया परिवर्तनीय ऋणपत्रों और बंधपत्रों को उक्त धाराओं के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है :

वर्षांतिक उपर्युक्त पूर्णतया परिवर्तनीय ऋणपत्रों और बंधपत्रों में निवेश, कर निर्धारिती द्वारा उसकी आय से किया जाता है जो दीर्घकालीन पूंजीगत परिसम्पत्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाले शुद्ध प्र-तिफल से किया जाता है तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 ड०क के प्रावधानों के अनुसार हो :

बताते यह भी कि यदि कर निर्धारिती आवंटित उपरोक्त पूर्णतया परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा बंधपत्रों अथवा परिवर्तन होने पर अर्जित शेयरों को किसी भी रूप में उनके आवंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर मौद्रिक रूप में परिवर्तित अथवा अंतरण कर करता है तो उपर्युक्त पूर्णतया परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा बंधपत्रों में ऐसे

कर निर्धारिती द्वारा किया गया प्रारंभिक निवेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ड०क की उपधारा ॥2॥ के प्रावधानों के अनुसार "पूंजीगत अभिलाषों" शीर्षक के अंतर्गत कर प्रभावी होगा ।

समर भट्ट

॥ समर भट्ट ॥

अधिसूचना सं० 10744

अवर सचिव, भारत सरकार

॥ का.सं० 178 /28/77-आयकर नि० ॥ ॥

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY,

PART-II, SECTION 3, SUB SECTION (11)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

.....

New Delhi, the 13/11 November, 1998

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification S.O. 6(E) dated 5th January, 1998 published in the Gazette of India (Extraordinary) on the 5th January, 1998, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies Fully Convertible Debentures and Bonds to be issued within a period of one year from the date of publication of the said notification for amount not exceeding Rs. One hundred two crores and One hundred twenty crores respectively by M/s. Koshika Telecom Limited, a public company registered under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Usha House, B-II/100, Mohan Co-op. Indl. Estate, Delhi-Mathura Road, Badarpur, New Delhi-110044, for the purposes of the said section:

Provided that the investment in the aforesaid Fully Convertible Debentures or Bonds is made by an assessee out of net consideration arising out from transfer of long term capital asset: in accordance with the provision of section 54EA of the Income-tax Act, 1961:

Provided further that in case the assessee converts into money or transfers aforesaid Fully Convertible Debentures or Bonds allotted to him or the shares acquired on conversion, in any manner within a period of three years from the date of their allotment, the initial investment made by such assessee in the aforesaid Fully Convertible Debentures or Bonds shall be chargeable to tax under the head "Capital Gain" in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 54EA of the Income-tax Act, 1961.

Samar Bhadra

(SAMAR BHADRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. 10744

(F.No. 178/28/97-ITA-I)

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.